Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Regarding amendment to Coal Bearing Areas Act.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । भारत सरकार द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में नियम क्रमांक 101 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है तो उक्त भूमि को मूल स्वामी को वापस किए जाने का नियम है, परंतु कोलधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 में ऐसा कोई नियम नहीं है । इसकी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड के पास काफी भूमि अनुपयुक्त है । मैं यह मांग करता हूँ कि सीबीए एक्ट में संशोधन कर उपरोक्त नियम को परिशिष्ट करना आवश्यक है । इससे देश के किसानों को लाभ मिलेगा ।